

परियोजना का नाम:-

जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-जौनपुर अन्तर्गत रौतु की बेली से चलीधार मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-2.00 किमी०) के निर्माण हेतु वांछित 1.014 वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (आरक्षित वन भूमि-0.647 है० तथा सिविल सायम वन भूमि-0.367 है० कुल 1.014 है०) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28-3-2008 के अनुसार निर्धारित ईको क्लास V के अन्तर्गत आता है।"

प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित वन भूमि के स्थल का औसत घनत्व वर्तमान कार्ययोजना के अनुसार 0.4 है तथा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रस्तावित समरेखण में विभिन्न प्रजाति के मात्र 103 वृक्ष प्रभावित /वाधित होने निहित है। जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति है० दर रू० 8,45,000.00 (रू० आठ लाख पैंतालीस हजार मात्र) है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 8,56,830.00 (रू० आठ लाख छप्पन हजार आठ सौ तीस मात्र) है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रभारीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी